प्रा० सं०–206-1
13.8.07

पत्रांक–3/एम–162/05 का० 2324

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

(23)

प्रेषक,

आमिर सुबहानी
सरकार के सचिव

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना–15, दिनांक– 10.7.07

विषयः– आपराधिक कदाचार में लिप्त सरकारी सेवकों के विरूद्ध आपराधिक कार्यवाही के साथ–साथ विभागीय कार्यवाही भी प्रारम्भ किये जाने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक नियुक्ति विभाग के पत्रांक III/आर 1–102/63–ए–10158 दिनांक 23 अगस्त, 1963 के कम में निर्गत कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक 3/सी–114/2003 का0–7820 दिनांक 28.10.03 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि उक्त परिपत्र में आपराधिक कदाचार संबंधी आरोपों में दोषी पाये गये सरकारी सेवकों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए अनुदेश दिया गया है । तदनुसार आपराधिक कार्यवाही में दोषी पाये जाने और सजा दिये जाने पर ऐसे सरकारी सेवकों को बिना विभागीय कार्यवाही चलाये बर्खास्त या सेवामुक्त या पदावनत किया जाना है ।

2. सरकार के समक्ष यह प्रश्न विचाराधीन था कि यदि ऐसे मामलों में अपील या रिवीजन में दोष मुक्ति और रिहाई हो जाती है तो ऐसे सरकारी सेवक की बर्खास्तगी/सेवामुक्ति/पदावनति के आदेश को समाप्त करना पड़ेगा । ऐसी स्थिति के निराकरणार्थ समुचित यह पाया गया है कि ऐसे सरकारी सेवक के विरूद्ध स्वतंत्र विभागीय कार्यवाही की जानी चाहिए ताकि आपराधिक कार्यवाही में अपील या रिवीजन में यदि सजा से मुक्त भी कर दिया जाता है तो विभागीय कार्यवाही में दोष सिद्ध होने पर दी गयी सजा कायम रखी जा सके ।

3. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राजस्थान राज्य बनाम बी0 के0 मीणा वाले मामले में दिनांक 27.9.96 को पारित आदेश [AIR 1997 Supreme Court 13] के अनुसार समान आरोपों पर आपराधिक कार्यवाही के साथ–साथ विभागीय कार्यवाही चलायी जा सकती है । अतः राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जब भी किसी पदाधिकारी/कर्मचारी पर आपराधिक कदाचारों में लिप्त होने के कारण भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम एवं भारतीय दंड विधान के तहत फौजदारी मुकदमा किया जाय तो साथ–ही साथ समुचित तथ्यों पर आधारित आरोप-पत्र गठित कर विभागीय कार्यवाही भी प्रारम्भ की जाय ।

4. कृपया सरकार के उक्त निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन,

(हस्ताक्षर) 5.7.07

(आमिर सुबहानी)
सरकार के सचिव

30 JUL 2007